(10) इससे प्रशासनिक व्यय में कमी आयेगी क्योंकि विभिन्न प्रकार के करों के बदले में एक ही कर होने से कर-वसूलने की लागत कम आयेगी। विभिन्न प्रकार के करों के लिए अलग-अलग विभागों की स्थापना भी नहीं करनी होगी।

(11) संघीय शासन व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन है। अब देश 'संघीय वित्त व्यवस्था' (Federal Finance System) की ओर बढ़ रहा है।

(12) बहुकर प्रणाली के बदले में देश एकल कर प्रणाली की ओर बढ़ेगा।

(13) कर-दरों का निर्धारण केन्द्र या राज्य सरकारें न करके वस्तु एवं सेवा कर परिषद के द्वारा किया जायेगा।

वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई इसकी जटिलता एवं गणना करने की है। व्यापारियों एवं व्यवसायियों को अपने व्यवसाय से संबंधित लेन-देन (क्रय-विक्रय) का पूरा लेखा रखना होगा। प्रत्येक माह GST का रिटर्न भरना होगा। जी.एस.टी. में चोरी करने पर दण्ड का प्रावधान है इसलिए व्यवसायियों को विशेषज्ञों की सेवाएँ लेनी होंगी। माइक्रो, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों एवं सेवा क्षेत्रों को सबसे अधिक कठिनाइयाँ हैं। उनके उत्पादों के लिए लगायी गयी वस्तु सेवा कर अत्यधिक ऊँची होने के कारण उनका व्यवसाय ठप्प पड़ गया है। इसीलिए व्यापारी एवं व्यवसायियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अतः वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने अपनी बैठक में लगभग 200 वस्तुओं के कर-दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 एवं 12 प्रतिशत के ढाँचा में लाया है जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यम अपने कारोबार को सरलता से सम्पन्न कर सकें।

महत्वपूर्ण प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अर्थ बताइए। इनके गुण और दोषों को समझाइए।
2. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आप क्या समझते हैं? इनके पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए।
3. वस्तु एवं सेवा कर क्या है?
4. ''एक कर, एक देश, एक बाजार'' का अर्थ समझाइये।
5. वस्तु एवं सेवा कर के प्रकार बताइये।
6. वस्तु एवं सेवा कर की दरें क्या हैं?
7. वस्तु सेवा कर परिषद क्या है?
8. ''वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार है।'' समझाइये।
9. वस्तु सेवा कर के लाभ एवं हानियाँ बतलाइये।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अन्तर बताइए।
3. प्रत्यक्ष करों के गुण एवं दोष समझाइए।
4. अप्रत्यक्ष करों के गुण एवं दोष बताइए।
5. ''प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एक-दूसरे के पूरक हैं।'' विवेचना कीजिए।

Scanned with CamScanner

6

भारतवर्ष में करदान क्षमता
[TAXABLE CAPACITY IN INDIA]

वर्तमान समय में राज्य का उद्देश्य लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः राज्य के लोगों की सुख-सुविधाओं को पूरा करने के लिए राज्य को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इससे राज्य का दायित्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सरकार को अपने इन दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिक आय की आवश्यकता होती है, इसीलिए सरकारें अपने बजट में नये-नये कर लगाकर अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करती हैं, किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि करदाताओं पर कर किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ? करदाता जब कर चुकाता है तो उसे अपने उपभोग में कटौती करनी पड़ती है, उसके बचत एवं विनियोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः करदाता नये-नये करों का एवं पुराने करों में वृद्धि का विरोध करता है। ऐसी स्थिति में एक राज्य की सरकार किस सीमा तक नागरिकों से कर वसूल कर सकती है, जिससे कि उसे नागरिकों के विरोध का सामना न करना पड़े, यह सीमा ही **करदेय क्षमता** (Taxable capacity) कहलाती है। एक देश के वित्त मन्त्री के लिए करदेय क्षमता का बहुत महत्व होता है। नये-नये कर लगाते समय तथा पुराने करों की दरों में वृद्धि करते समय उसे निश्चित रूप से लोगों की करदेय क्षमता को ध्यान में रखना पड़ता है। वह **वित्त मन्त्री अधिक बुद्धिमान एवं चतुर माना जाता है, जो कि राज्य में लोगों की करदेय क्षमता के अनुसार कर लगाता है।** यदि वह लोगों की करदेय क्षमता से अधिक कर लगाता है तो लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है एवं सरकार को लोगों के असन्तोष का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, यदि वह लोगों की करदेय क्षमता तक कर वसूल नहीं कर पाता तो उस वित्त मन्त्री को अक्षम माना जाता है, क्योंकि उसकी करारोपण नीति से सरकार को उन आयों से वंचित रहना पड़ता है, जिसे वह करों में वृद्धि करके प्राप्त कर सकता था। अतः वित्त मन्त्री को देश के लोगों की करदेय क्षमता तक ही कर लगाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि करदेय क्षमता का अर्थ क्या है?

करदेय क्षमता की परिभाषाएँ
(Definitions of the Taxable Capacity)

करदेय क्षमता का ठीक-ठीक अर्थ क्या है, इसके विषय में अर्थशास्त्रियों में आज भी विवाद है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने करदेय क्षमता की परिभाषा निम्न प्रकार से की है—

सर जोशिया स्टैम्प (Sir Josiah Stamp) के अनुसार, **''करदेय क्षमता वह अधिकतम धनराशि है, जिसे किसी देश के लोग सार्वजनिक व्यय की पूर्ति के लिए अपने जीवन को नीरस एवं दुःखी बनाये बिना तथा आर्थिक संगठन को अस्त-व्यस्त किये बिना सरकार को देने के लिए तैयार हो जाते हैं।''**

स्टैम्प की इस परिभाषा में **स्पष्टता एवं निश्चितता का अभाव है।** दुःखी एवं नीरस जीवन बिताये बिना तथा आर्थिक संगठन को अस्त-व्यस्त किये बिना इनका अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। लोगों का जीवन कब बगैर नीरस एवं दुःखी माना जायेगा तथा उनका आर्थिक जीवन कब अस्त-व्यस्त नहीं होगा, यह स्टैम्प की परिभाषा में स्पष्ट नहीं है।

Scanned with CamScanner

प्रो. फिण्डले शिराज (Findlay Shirraj) के अनुसार, **''करदेय क्षमता निचोड़ की सीमा है। यह उस न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का कुल आधिक्य है, जो ऐसे उत्पादन स्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक है और जिससे लोगों के रहन-सहन के स्तर में कोई परिवर्तन न हो।''**

प्रो. शिराज की परिभाषा से स्पष्ट है कि **करदेय क्षमता करारोपण की अधिकतम सीमा है,** जिसे सरकार लोगों से कर के रूप में प्राप्त कर सकती है। यदि इससे अधिक कर वसूल किया जायेगा तो देश में क्रान्ति अथवा गृह युद्ध छिड़ने की सम्भावना होती है।

द्वितीय, शिराज की परिभाषा में लोगों के **रहन-सहन के स्तर को बनाये रखने के लिए न्यूनतम उपभोग पर बल दिया गया है।** उन्होंने न्यूनतम उपभोग में **दो बातें** सम्मिलित की हैं—

(अ) **लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति,** और (ब) **व्यापार एवं उद्योग की उन्नति के लिए पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था करना।** कुल उत्पादन में से इन दोनों मात्राओं को घटाकर करदेय क्षमता की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सकती है।

किन्तु आलोचकों का कहना है कि **शिराज** की परिभाषा में भी न्यूनतम उपभोग क्या हो तथा उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए पूँजी में कितनी वृद्धि आवश्यक होगी ? इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट नहीं हैं। इसमें सार्वजनिक व्यय को भी विचार में नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार के व्यय से लोगों की करदेय क्षमता भी बढ़ जाती है।

प्रो. फ्रेजर (Fraser) के अनुसार, **''करदेय क्षमता उस समूचे आधिक्य द्वारा व्यक्त होती है जो उत्पादन और न्यूनतम उपभोग (जो कि उस उत्पादन स्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक है) में अन्तर से प्रकट होता है।''**

प्रो. फ्रेजर की परिभाषा भी **अस्पष्ट है** क्योंकि इसमें न्यूनतम उपभोग का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरे, **फ्रेजर** ने करदेय क्षमता की अधिकतम सीमा निश्चित करते हुए लिखा है कि **''जब करदाताओं को कर अदा करने के लिए बैंकों से उधार लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है तो करदेय क्षमता की सीमा आ जाती है।''** किन्तु आलोचकों के अनुसार, **फ्रेजर** का यह दृष्टिकोण भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि लोग बैंक से ऋण केवल कर के भुगतान करने के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापारिक कार्यों एवं उद्योगों की स्थापना के लिए भी लेते हैं।

भारतीय कराधान जाँच कमेटी (Indian Taxation Enquiry Committee) के अनुसार, **''करदेय क्षमता समानता के सिद्धान्त के समान एक सापेक्षिक विचार है। आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के विभिन्न वर्गों की करदेय क्षमता उनके कर चुकाने की उस सीमा में प्रदर्शित होती है, जिस पर पहुँचकर उत्पादन-कुशलता एवं प्रयास प्राय: क्षीण होने लगते हैं।''** जाँच कमेटी के अनुसार, करारोपण की अधिकतम क्षमता उस समय प्राप्त हो जाती है जब कर के भार के कारण व्यवसायी अपनी पूँजी परिसम्पत्ति का समुचित प्रतिस्थापन न कर सके। घिसावट व्यय को पूरा न कर सकने के कारण वह उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्पर नहीं हो पाता है, किन्तु यह परिभाषा भी अन्य परिभाषाओं के समान त्रुटिपूर्ण है।

करदेय क्षमता के दो अन्य अर्थ

करदेय क्षमता के दो अन्य अर्थ भी लगाये जाते हैं—

(अ) **करदान क्षमता का अभिप्राय बिना कष्ट के कर देने की शक्ति से है।**

(ब) **करदेय क्षमता का अभिप्राय कष्ट की उपेक्षा करते हुए कर चुकाने की शक्ति से है।**

प्रथम अर्थ के अनुसार, एक देश की करदेय क्षमता शून्य होगी क्योंकि कोई भी कर ऐसा नहीं होता जिसके चुकाने में करदाता को कुछ-न-कुछ कष्ट न होता हो। यदि करदेय क्षमता के दूसरे अर्थ को स्वीकार किया जाए तो करदाताओं की कर चुकाने की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होगी। इसका कारण यह है कि कर चुकाने से करदाताओं को होने वाले कष्ट को ध्यान में नहीं रखा गया है।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि करदेय क्षमता के अर्थ के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो करदेय क्षमता के विचार की आलोचना की है, जैसा कि डॉ. डाल्टन (Dr. Dalton) ने कहा है, **''ऐसी किसी भी निश्चित धनराशि का निर्धारण करना पूर्णत: असम्भव है, जिसके विषय में यह कहा जा सके कि यह धनराशि किसी विशेष समय में समाज की करदेय क्षमता की सीमाओं का प्रतीक है।''** इसीलिए **डॉ. डाल्टन** ने यह सुझाव दिया है कि लोकवित्त के सभी गम्भीर विवेचनों में से करदेय क्षमता की धारणा को बाहर निकाल देना चाहिए।

करदान क्षमता का वर्गीकरण
(Classification of Taxable Capacity)

अथवा

निरपेक्ष तथा सापेक्षिक करदेय क्षमता
(Absolute and Relative Taxable Capacity)

डॉ. डाल्टन एवं **प्रो. शिराज** ने करदेय क्षमता की धारणा को स्पष्ट करने के लिए निरपेक्ष एवं सापेक्षिक करदेय क्षमता में भेद किये हैं। निरपेक्ष करदेय क्षमता का अर्थ उस अधिकतम धनराशि से है, जिसे सरकार लोगों को उनके न्यूनतम जीवन-निर्वाह उपभोग व्यय की छूट देने के बाद कर के रूप में वसूल कर सकती है। जैसा कि **शिराज** ने लिखा है, **''निरपेक्ष करदेय क्षमता निचोड़ की सीमा है।''**

किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, **'न्यूनतम निर्वाह व्यय'** एवं **'निचोड़ की सीमा'** अस्पष्ट, अनिश्चित एवं अव्यावहारिक है। चूँकि निरपेक्ष करदेय क्षमता को मापा नहीं जा सकता, अत: इसका अध्ययन महत्वहीन है। इसके विपरीत, **सापेक्षिक करदेय क्षमता एक तुलनात्मक विचार है।** इसके अन्तर्गत करदेय क्षमता का अर्थ है कि एक समुदाय की तुलना में दूसरे समुदाय की करदेय क्षमता कितनी है। इस प्रकार, यदि दो या दो से अधिक समुदायों को सार्वजनिक व्यय के लिए धन देना पड़ता है तो यह धन उन समुदायों की अपनी करदान क्षमता के अनुपात में ही लिया जाना चाहिए। यह विचार संघीय शासन वाले देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, जहाँ कि विभिन्न राज्यों को केन्द्र के सार्वजनिक व्यय के लिए धन देना पड़ता है।

प्रो. शिराज ने लिखा है कि, **''सापेक्षिक करदेय क्षमता यह स्पष्ट करती है कि एक राज्य दूसरे राज्य की तुलना में सामूहिक कार्यों के लिए कितना योगदान दे अथवा कर-भार का वितरण एवं संघ के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में अथवा प्रान्तों के बीच किस प्रकार किया जाये।''**

डॉ. डाल्टन ने भी सापेक्षिक करदेय क्षमता को व्यावहारिक माना है क्योंकि इसका अनुमान विभिन्न देशों की करदेय क्षमता की तुलना करके लगाया जा सकता है।

डाल्टन ने लिखा है कि, **''यदि दो देशों को सामान्य व्यय में अपना अंशदान देना है तो वे अपनी सापेक्षिक करदेय क्षमता की तुलना में अंशदान दें।''** उन्होंने आगे कहा है कि **''यदि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, तो धनी करदाताओं द्वारा दिये जाने वाले अंशदान में आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए और निर्धन करदाताओं द्वारा अदा किये जाने वाले अंशदान में आनुपातिक कमी होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय में कमी होने से इसमें कमी होनी चाहिए।''** अन्त में उन्होंने कहा है कि, **''सापेक्षिक करदेय क्षमता एक सत्य बात है, जो उचित रूप में दूसरे शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। परन्तु निरपेक्ष करदेय क्षमता एक कल्पित कथा है, जिससे भयानक भूल होने की सम्भावना सदैव बनी रहती है।''**

वास्तव में, दोनों प्रकार की करदेय क्षमता का अपना अलग-अलग महत्व है। निरपेक्ष करदेय क्षमता का प्रयोग **संकटकालीन परिस्थिति में अधिकतम धनराशि एकत्रित करने के लिए राज्य कर सकता है।** इसके विपरीत, सापेक्षिक करदेय क्षमता द्वारा उस सापेक्षिक धनराशि को ज्ञात किया जाता है, जो प्रत्येक राज्य को किसी सामूहिक व्यय के लिए देना चाहिए। करदेय क्षमता का निर्धारण करना कोई सरल कार्य नहीं है, इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने इसका अनुमान लगाने के लिए विभिन्न तत्वों का वर्णन किया है।

करदेय क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्व
(Factors Affecting the Taxable Capacity)

एक देश की करदेय क्षमता को निर्धारित करने में निम्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है—

(1) **राष्ट्रीय आय का आकार** (Size of the national income)—किसी भी देश की करदेय क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर होती है। स्वयं एक देश की राष्ट्रीय आय का आकार अनेक तत्वों पर निर्भर होता है; जैसे—देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन, श्रमिकों की संख्या एवं उनके प्रकार, पूँजी की मात्रा, तकनीकी ज्ञान, जोखिम उठाने वाले साहसी एवं प्रबन्धकों की संख्या इत्यादि। अत: जो देश जितना ही अधिक धनी होता है, उसकी करदेय क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है।

(2) **आय का वितरण** (Distribution of income)—करदेय क्षमता राष्ट्रीय आय के आकार के अतिरिक्त इस बात पर निर्भर होती है कि उसका लोगों के बीच किस प्रकार वितरण हुआ है। यदि देश में धन का असमान वितरण है तो राष्ट्रीय सम्पत्ति देश के कुछ मुट्ठी-भर लोगों के हाथों में केन्द्रित होगी। चूँकि इन धनवान व्यक्तियों की बचत एवं त्याग करने की क्षमता अधिक होती है, अत: धन का असमान वितरण होने पर देश में करदेय क्षमता अधिक होती है। इसके विपरीत, यदि देशं में राष्ट्रीय आय का समान वितरण होता है तो देश के अधिकांश निर्धन लोगों की आय बढ़ जायेगी। इस बढ़ती हुई आय की वे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की सन्तुष्टि पर ही व्यय करेंगे। अत: देश में लोगों की करदेय क्षमता कम हो जायेगी।

(3) **देश की जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि दर** (Size of the population of the country and its growth rate)—एक देश की करदेय क्षमता को निर्धारित करने में उस देश की जनसंख्या का आकार एवं उसकी वृद्धि दर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय की मात्रा स्थिर है तो उस देश की करदेय क्षमता प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर होती है। देश की जनसंख्या जितनी बढ़ती जायेगी, उसकी करदेय क्षमता उतनी ही घटती जायेगी। इसके अतिरिक्त, करदेय क्षमता इस बात पर भी निर्भर होती है कि जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय में तुलनात्मक वृद्धि दर क्या है ? यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक है तो देश अपेक्षाकृत गरीब हो जायेगा। अत: उसकी करदेय क्षमता घट जायेगी।

(4) **कर-प्रणाली का स्वरूप** (Nature of the tax system)—यदि किसी देश में कर-प्रणाली को वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया है तो इससे निश्चित रूप से उस देश की करदेय क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित कर-प्रणाली से अभिप्राय यह है कि सरकार द्वारा लगाये कर सरल, निश्चित तथा सुविधाजनक हों। थोड़े से सरल, निश्चित एवं प्रगतिशील कर अधिक आय जुटाने में सफल होते हैं। ऐसी कर-प्रणाली श्रेष्ठतम मानी जाती है, जिसके द्वारा करों का भुगतान करने पर कष्ट न्यूनतम होता है। अत: यदि कर-व्यवस्था की रचना सावधानी के साथ ही की गयी होती तो लोग करों के भार से मुक्त भी नहीं होते और करों की चोरी की सम्भावना भी कम होती। इसके विपरीत, यदि देश की कर-प्रणाली उत्पादन शक्ति पर बुरा प्रभाव डालती है तो देश की करदेय क्षमता कम हो जाती है।

(5) **सार्वजनिक व्यय की प्रकृति तथा मात्रा** (Nature and the amount of public expenditure)—जिस प्रकार कर-प्रणाली का स्वरूप करदेय क्षमता को प्रभावित करता हैं, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय की प्रकृति तथा इसकी मात्रा भी करदेयं क्षमता को प्रभावित करती है। सार्वजनिक व्यय जितना अधिक होता है, जनता की मौद्रिक आय भी उतनी ही अधिक बढ़ती है। लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होने से उनकी करदेय क्षमता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार सार्वजनिक आय का एक बड़ा भाग धनोत्पादक क्षेत्र में लगाती है अथवा उत्पादन शक्तियों में व्यय करती है तो इससे देश में धन का उत्पादन बढ़ जाता है और उसके लोगों की करदान क्षमता भी बढ़ जाती है। कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि में सुधार एवं विकास करने के लिए यदि सरकार व्यय करती है तो इससे लोगों की आय बढ़ जायेगी और देश की करदेय क्षमता भी बढ़ जायेगी। इसके विपरीत, यदि सरकार अनुत्पादक कार्यों; जैसे—अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण एवं युद्ध की तैयारी पर व्यय करती है तो इससे निश्चित रूप से देश की करदेय क्षमता घट जायेगी।

Scanned with CamScanner

(6) देश की आर्थिक विकास की स्थिति (Stage of economic development of the country)—एक देश की करदेय क्षमता उसकी आर्थिक विकास की स्थिति पर भी निर्भर होती है। एक औद्योगिक राष्ट्र की करदेय क्षमता पिछड़े तथा अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की करदेय क्षमता से अधिक होती है।

(7) लोगों का रहन-सहन का स्तर (Living standard of the people)—करदेय क्षमता की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है ? इसके सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है कि लोगों के न्यूनतम रहन-सहन के स्तर के ऊपर उत्पादन का जो आधिक्य प्राप्त होता है, वह करदेय क्षमता होती है। अत: लोगों की करदेय क्षमता को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आय की कुल मात्रा में से लोगों के जीवन-यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्वाह व्यय और पूँजी को पहले जैसे बनाये रखने के लिए घिसावट व्यय को निकाल दिया जाता है। चूँकि जीवन-निर्वाह का स्तर एक विषयगत तथ्य है, जो व्यक्ति अथवा समुदाय तथा समय में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, अत: इसे ठीक-ठीक माप नहीं जा सकता। फिर भी वर्गों के निर्वाह स्तर को स्थिर मान लिया जाए तो राष्ट्रीय आय की प्रत्येक वृद्धि से करदेय क्षमता की बढ़ने की सम्भावना होती है।

(8) करदाताओं की मनोवृत्ति (Attitude of the tax-payers)—एक देश की करदान क्षमता पर लोगों की मनोवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कैसा है ? राष्ट्रीय सरकार में जनता का विश्वास अधिक होता है। अत: लोग भारी कर भी चुकाने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत, गुलाम देश में लोगों की करदान क्षमता कम रहती है क्योंकि वहाँ लोग विदेशी सरकार को हमेशा सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। अत: वे कर का भुगतान नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार से देश की स्थिति का भी प्रभाव लोगों की मनोवृत्ति पर पड़ता है। संकटकाल में जब देश पर विदेशी आक्रमण होते हैं तो लोग देश की सुरक्षा के लिए सरकार की अधिक-से-अधिक सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। अत: ऐसे अवसरों पर करदेय क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार समृद्धिकाल (Boom) में लोग आशावादी होते हैं। भारी लाभ प्राप्त करने की आशा में वे अधिक कर चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किन्तु मन्दी के समय जबकि लोगों में निराशा होती है, कर का भार और भी असहनीय हो जाता है। अत: मन्दीकाल में करदेय क्षमता घट जाती है।

(9) मुद्रा-स्फीति (Inflation)—करदान क्षमता पर मुद्रा-स्फीति का बुरा प्रभाव पड़ता है। चूँकि मुद्रा-स्फीति में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं, अत साधारण जनता की क्रय-शक्ति घट जाती है। इससे उनकी वास्तविक आय में कमी आती है और करदेय क्षमता घट जाती है।

चूँकि करदेय क्षमता पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, अत: एक देश की करदान क्षमता को ज्ञात करने के लिए उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

करदान क्षमता का महत्व
(Importance of Taxable Capacity)

करदान क्षमता को ज्ञात करने का महत्व निम्नलिखित है—

(1) नीति-निर्धारण में मार्गदर्शक—किसी भी देश की सरकार को आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगार जैसी योजनाओं के लिए तथा विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों जैसे—मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति आदि के निर्धारण के लिए करदान क्षमता को ज्ञात करना आवश्यक होता है।

(2) अच्छी कर प्रणाली का आधार—अच्छी कर प्रणाली का अर्थ उस कर के स्वरूप से है जिसमें लगाये जाने वाले करों को करदान क्षमता के अनुसार लगाया जाता है। यदि करारोपण करदान क्षमता के अनुसार होता है तो करारोपण में अपने आप न्याय उत्पन्न हो जाता है। यदि सरकार करदान क्षमता की सही-सही जानकारी के बिना करारोपण करती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी बुरे प्रभाव पड़ते हैं।

(3) आर्थिक समानता—आर्थिम समानता किसी भी सरकार का महत्वपूर्ण एवं न्यायानुकूल लक्ष्य है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए सरकार गरीबों पर कम तथा अमीरों पर अधिक कर लगाती है यह तभी सम्भव है जब सरकार लोगों की करदान क्षमता का सही-सही पता लगा ले।

Scanned with CamScanner

(4) **आर्थिक विकास**—वर्तमान समय में सरकार भारी निवेश कर आर्थिक विकास करना चाहती है। इस हेतु उसे बड़ी मात्रा में वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता होती है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत कर है, किन्तु इस स्रोत से तभी अधिकतम साधन जुटाये जा सकते हैं जब सरकार को यह ज्ञात हो जाए कि लोगों की करदान क्षमता क्या है ?

(5) **बचत निवेश एवं उत्पादन का निर्धारण**—यह एक सामान्य तथ्य है कि यदि करदान क्षमता के अनुकूल ही सरकार करारोपण करती है तो इससे देश में बचत, निवेश एवं उत्पादन के निर्धारण में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है।

(6) **संकटकाल में सहायक**—करदान क्षमता का ज्ञान इस दिशा में भी महत्वपूर्ण है कि देश पर युद्ध, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प जैसी संकटकालीन दशाओं में लोग जितना कर दे सकते हैं यह ज्ञात हो सकता है।

इस प्रकार, करदान क्षमता की सही-सही जानकारी किसी भी सरकार की स्थिरता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की कुंजी है।

भारत में करदान क्षमता
(Taxable Capacity in India)

भारत में करदान क्षमता के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो प्रकार के विचार प्रचलन में हैं—

(अ) भारत में करदान क्षमता सीमा लाँघ चुकी है।

(ब) भारत में करदान क्षमता की सीमा अभी नहीं आई है।

(अ) भारत में करदान क्षमता सीमा लाँघ चुकी है (Taxable Capacity has Crossed its Limit in India)

उपर्युक्त विचार के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री निम्नलिखित तर्क देते हैं—

(1) **दोषपूर्ण कर प्रणाली**—भारतीय कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष कर अधिक और प्रत्यक्ष कर कम हैं। अप्रत्यक्ष करों का सर्वाधिक भार गरीबों पर पड़ता है। कर प्रशासन भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर है। कर भुगतान की प्रक्रिया जटिल और अव्यावहारिक है। कर सलाहकार दलाली करते हैं। कर-चोरी अधिक है। इस प्रकार कर प्रणाली के दोष से गरीब अधिक और अमीर कम कर दे रहा है। भारत के गरीबों की करदान क्षमता अपनी सीमा लाँघ चुकी है।

(2) **राष्ट्रीय भावना की कमी**—लोगों में राष्ट्रीय भावना की कमी है। वे कर-चोरी को स्व-अभिमान और कर चुकाने को अपमान मानते हैं। इससे उनकी करदान क्षमता कम हो गई है।

(3) **अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय**—भारत में सार्वजनिक व्यय का 78 प्रतिशत भाग रक्षा, प्रशासन, ऋणों एवं ब्याज की अदायगी, महँगाई भत्ता जैसे अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होता है। उत्पादन कार्यों के अभाव में लोगों की करदान क्षमता कम होना स्वाभाविक है।

(4) **आय की अनिश्चितता**—भारत में 48 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हैं और 18 प्रतिशत लोग दैनिक वेतन भोगी हैं जिन्हें काम की कोई गारण्टी नहीं होती है। ऐसे में उनकी आय में अनिश्चितता बनी रहती है। अतः वे अधिक कर चुकाने में अक्षम हैं।

(5) **जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर**—वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है। जनसंख्या वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इससे गरीबी बढ़ती जा रही है और लोगों की करदान क्षमता घटती जा रही है।

(ब) भारत में करदान क्षमता की सीमा अभी नहीं आई है (The Limit of Taxable Capacity Still not Crossed in India)

भारत की **राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक परिषद** (National Council of Applied Economy), **भारतीय कर जाँच आयोग** सहित अनेक विद्वानों का मत है कि भारत में करदान क्षमता की सीमा नहीं

Scanned with CamScanner

आई है तथा लोगों पर और अधिक कर लगाये जाने चाहिए। वे अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित तर्क देते हैं—

(1) **आर्थिक नियोजन से विकास**—भारत में 1951 से आर्थिक नियोजन अपनाया गया है। इसके आर्थिक कार्यक्रमों में अरबों रुपये खर्च कर रोजगार, उत्पादन एवं लोगों के आर्थिक स्तर को बढ़ाया गया है। इसके परिणामस्वरूप भारतीयों की करदान क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

(2) **धन का वितरण**—भारत में धन का असमान वितरण है और करदान क्षमता की धारणा कहती है कि जहाँ धन का वितरण असमान होता है वहाँ लोगों की करदान क्षमता ऊँची होती है। इस आधार पर भारत में करदान क्षमता ने अभी सीमा नहीं लाँघी है।

(3) **राष्ट्रीयता की भावना का विकास**—सन् 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में लोगों ने तन-मन और धन से सरकार को सहयोग दिया है। इसी प्रकार प्राकृतिक एवं अन्य विपत्तियों में भी लोग सरकार को आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों की करदान क्षमता में वृद्धि हुई है, न कि सीमा लाँघ चुकी है।

(4) **कल्याणकारी कार्यक्रम**—देश में गरीबी-रेखा से नीचे जीने वाले लोगों, सीमान्त कृषकों एवं आम आदमी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, मुफ्त बिजली आदि सरकार दे रही है। इससे लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है और लोगों की करदान क्षमता भी बढ़ी है।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में करदान-क्षमता ने अपनी सीमा नहीं लाँघी है। इसके विपरीत, लोगों की करदान क्षमता बढ़ी है जिससे उन पर और अधिक कर लगाये जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. करदान क्षमता क्या है ? करदान क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए।
2. करदान क्षमता के विचार को समझाइए। करदान क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्त्व क्या हैं ?
3. सापेक्षिक और निरपेक्ष करदान क्षमता का अर्थ बताइए। उनमें क्या समानताएँ एवं अन्तर हैं ?
4. "करदान क्षमता एक भद्दा और अस्पष्ट विचार है।" इस कथन की सत्यता की जाँच कीजिए।
5. करदान क्षमता का अर्थ बताइए। किसी समाज की करदान क्षमता को किस प्रकार मापा जाता है ?
6. करदान क्षमता विचार का महत्व बताइए।
7. "भारत में करदान क्षमता सीमा लाँघ चुकी है।" इस कथन का परीक्षण कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. करदान क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. करदान क्षमता के "बिना कष्ट कर देने की शक्ति तथा कष्ट की उपेक्षा करते हुए कर चुकाने की शक्ति" को समझाइए।
3. निरपेक्ष और सापेक्ष करदान क्षमता समझाइए।
4. करदान क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्त्व।
5. करदान क्षमता का महत्व।
6. भारत में करदान क्षमता पर एक टिप्पणी लिखिये।

Scanned with CamScanner